न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रताप सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 04/2022(मैन्यूअल)(ऑनलाईन 2022/04)

अपीलांट बनाम **रेस्पोडेंट**

1. श्रीमति रेखाकंवर पत्नी प्रतापसिंह उम्र 70 साल
2. अनोपसिंह पुत्र प्रतापसिंह उम्र 50 साल
3. नीम्बसिंह पुत्र प्रतापसिंह उम्र 48 साल
4. करनसिंह पुत्र बींजराजसिंह उम्र 75 साल
5. चनणसिंह पुत्र बींजराजसिंह के कायम मुकाम
   5/1– ओकारसिंह पुत्र चनणसिंह उम्र 38 साल
   5/2– गोमीकंवर पुत्री चनणसिंह उम्र 21 साल
   5/3– तेजमालसिंह पुत्र चनणसिंह उम्र 33 साल
   5/4– पवनकंवर पुत्री चनणसिंह उम्र 23 साल
   5/5– भंवरीकंवर पत्नी चनणसिंह उम्र 65 साल
   5/6– मगसिह पुत्र चनणसिंह उम्र 29 साल
   5/7– सादुलसिंह पुत्र चनणसिंह उम्र 40 साल
   5/8– हडवंतसिंह पुत्र चनणसिंह उम्र 31 साल
   5/9– हिन्दूसिंह पुत्र चनणसिंह उम्र 27 साल
   5/10– हीरसिंह पुत्र चनणसिंह उम्र 35 साल
6. सगतसिंह पुत्र लखसिंह उम्र 75 साल
7. सबलसिंह पुत्र लखसिंह उम्र 70 साल
8. भीमसिंह पुत्र लखसिंह उम्र 68 साल
9. श्रीमति उगमकंवर पत्नी वीरसिंह उम्र 60 साल
10. कमलसिंह पुत्र वीरसिंह उम्र 40 साल
11. नखतसिंह पुत्र वीरसिंह उम्र 38 साल
12. गोमसिंह पुत्र वीरसिंह उम्र 36 साल
13. प्रेमसिंह पुत्र खीमसिंह उम्र 60 साल
14. गोविन्दसिंह पुत्र खीमसिंह उम्र 58 साल
15. जुगतसिंह पुत्र खीमसिंह उम्र साल
16. गोपालसिंह पुत्र सांवतसिंह उम्र 62 साल
17. रावतसिंह पुत्र सांवतसिंह उम्र 50 साल
    सर्वे जातियान राजपूत निवासीगण रणधा तहसील फतेहगढ जिला जैसल राजस्थान
18. सवाईसिंह पुत्र सायबदानसिंह उम्र 65 साल जाति राजपूत निवासी म्याजलार तहसील व जिला जैसलमेर राजस्थान

रेस्पोडेंट:

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ

उपस्थित

1. श्री केशरसिंह भाटी अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से
2. पैरोकार राज(नायब तहसीलदार जैसलमेर) रेसपोडेन्ट की ओर से

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रताप सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 04 / 2022(मैन्यूअल)(ऑनलाईन 2022 / 04)

निर्णय **दिनांक 12.06.2025**

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेंट के द्वारा ग्राम मोढा में भरे गये नामान्तरण संख्या 245 दिनांक 09.02.2013 के अनुसार तरमीम नहीं होने से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा आपसी सहमति से राजस्व अभियान में अपनी खातेदारी भूमि का आपसी बंटवारा करवाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार फतेहगढ को बंटवारनामा आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार फतेहगढ द्वारा हल्का पटवारी मोढा राजस्व निरीक्षक झिनझिनयाली को बंटवारा प्रस्ताव बनाकर पेश करने का आदेश प्रदान किया। जिस पर हल्का पटवारी मोढा राजस्व निरीक्षक झिनझिनयाली द्वारा बंटवारा प्रस्ताव बनाकर खातेदारो के हस्ताक्षर करवाकर तहसीलदार फतेहगढ को पेश किया जिस पर तहसीलदार फतेहगढ द्वारा आदेश क्रमांक / राजस्व / 525 दिनांक 09.02.2013 को आदेश पारित किया जिसमें ग्राम मोढा के खसरा संख्या 203 में रकबा 35–12 बीघा, खसरा संख्या 436 में रकबा 7–12 बीघा, खसरा संख्या 426 रकबा 46–01 बीघा कुल खसरा 03 कुल रकबा 89–05 बीघा रेखाकंवर पत्नी प्रतापसिंह, अनोपसिंह, नीम्बसिंह पिता प्रतापसिंह के नाम से खातेदारी में दर्ज किया।श्री करनसिंह पुत्र बींजसिंह खसरा संख्या 203 / 597 में रकबा 35–12 बीघा, खसरा संख्या 436 / 598 में 53–08 बीघा कुल खसरा 02 कुल रकबा 89–00 बीघा, श्री चनणसिंह पुत्र बींजराजसिंह के नाम खसरा संख्या 203 / 599 में रकबा 35–12 बीघा, खसरा संख्या 436 / 600 में रकबा 7–13 बीघा, खसरा संख्या 426 / 601 में रकबा 46–01 बीघा कुल खसरा 03 कुल रकबा 89–06 बीघा, श्री सगतसिंह, सबलसिंह, भीमसिंह पिसरान लखसिंह उगमकंवर पत्नी वीरसिंह, कमलसिंह, नखतसिंह गोमसिंह पिसरान वीरसिंह के नाम खसरा संख्या 203 / 602 में रकबा 35–12 बीघा खसरा संख्या 426 / 603 में रकवा 53–13 बीघा कुल खसरा 02 कुल रकबा 89–09 बीघा भूमि तथा श्री प्रेमसिंह गोविन्दसिंह, जुगतसिंह पिसरान खीमसिंह के नाम खसरा संख्या 203 / 604 में रकबा 35–12 बीघा, खसरा संख्या 436 / 605 में रकबा 7–13 बीघा, खसरा संख्या 426 / 606 में रकबा 46–01 बीघा कुल खसरा 03 कुल रकवा 89–06 बीघा, श्रीमती सेहजकंवर पत्नी सावंतसिंह, गोपालसिंह, रावतसिंह पिसरान सावंतसिंह के नाम खसरा संख्या 203 / 607 में रकबा 35–11 बीघा, खसरा संख्या 436 / 608 में रकबा 7–13 बीघा, खसरा संख्या 426 / 609 में रकबा 46–01 बीघा कुल खसरा 03 कुल रकबा 89–05 बीघा भूमि का नामान्तरण संख्या 245 दिनांक 09.02. 2013 को स्वीकृत किया, जिसके अनुसार जमाबन्दी में अपीलान्टगण के अलग अलग खाते व खसरा नम्बर दर्ज कर अंकन किया गया तथा अलग अलग खाते दर्ज किये गये। परन्तु लटठा ट्रैस नक्शा में बंटवारा अनुसार हलका पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार फतेहगढ द्वारा तरमीम नहीं की गई। जिसकी अपीलान्टगण को कोई जानकारी नही दी गई। तथा अपीलान्टगण

जिला कलक्टर

जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

को अंधेरे में रखा गया। अभी राज्य सरकार के आदेशानुसार नक्शो की ऑनलाईन तरमीम की गई, जिसमें भी हलका पटवारी, राजस्व निरीक्षक मोढा व तहसीलदार फतेहगढ द्वारा प्रार्थीगण के बंटवारा अनुसार तरमीम न की जाकर अपनी मनमर्जी से तरमीम की गई।

अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि राजस्व अधिकारियों के समझने में भूल होने से मौके पर कब्जा एवं सहमति के कथनानुसार ऑनलाईन तरमीम नहीं की गई। अतः मौके की भौतिक एवं वास्तविक स्थिति एवं बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार तरमीम शुद्धि करावे।

उभय पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। अपीलांट द्वारा विवादग्रस्त नामान्तरण में त्रुटि नहीं होने का निवेदन करते हुए केवल राजस्व नक्शे में भूमि विभाजन आदेश के अनुरूप तरमीम शुद्धि किए जाने का निवेदन किया गया है। अपीलांट तरमीम शुद्धि हेतु सक्षम न्यायालय प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। अपीलाधीन नामान्तकरण मे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अपीलाधीन नामान्तकरण मे हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं होने से अपीलाधीन नामांतकरण को यथावत रखा जाता है तथा अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पक्षकार अपना अपना व्यय स्वयं वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
जैसलमेर (राज.)

(प्रताप सिंह)
[redacted]
जै[redacted]